कार्यालय संयुक्त निदेशक फा0स0 मुख्यालय लखनऊ।

पत्रांकःआर-151/जे0डी0/जीबीएन-13(गा0बाद) 399 दिनांकः दिसम्बर 8 2013,

सेवा मे,

मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

विषयः- मैसर्स आदिनाथ प्रोबिल्ड प्रा0लि0 द्वारा खसरा न0-520/1 525 ग्राम-मोहिउद्दीनपुर कनावनी गाजियाबाद मे निर्मित/प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन "एंजिल जुपिटर "की (कम्पाउण्डिंग) प्राविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्याः 601/एम0पी0/2013 दिनांकः 27-07-2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसके माध्यम से प्रश्नगत भवन के कम्पाउण्डिंग मानचित्रों पर प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद से किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध मे आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र सीएफओ गाजियाबाद कार्यालय प्राप्ति दिनांकः 15-10-2013 के द्वारा प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के शमनित (कम्पाउण्डिंग) मानचित्रों पर अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किये जाने पर स्थलीय निरीक्षण एवं मानचित्रों का परीक्षण अग्निशमन अधिकारी वैशाली से कराया गया, तो उनके द्वारा प्रेषित आख्या पत्रांकः भ-31/एफएसवी-2013, दिनांकः 24-10-2013 का परीशीलन कर मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद मानचित्रों मे विद्यमान कमियों का निराकरण कराये जाने हेतु सम्बन्धित को पत्र संख्याःभ-114/सीएफओ/2013 दिनांकः 25-10-2013 से अवगत कराया गया तथा प्रेषित पत्र के उत्तर में भवन स्वामी द्वारा वॉछित त्रुटियों का निराकरण करते हुए पुनः संशोधित मानचित्र मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद कार्यालय मे प्रस्तुत किये गये जिनका परीक्षण कर मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा अपनी संस्तुति दिनांकितः 04-12-2013 उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ को उपलब्ध करायी गयी तथा उनके द्वारा परीक्षण कर अपनी आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी जिनका विवरण निम्नवत हैः-

भवन की संरचनाः-

1-कुल भुखण्ड एरिया-20,134.240 वर्ग मीटर।

2-प्रस्तावित/निर्माणाधीन भूतल कवर्ड एरिया-3483.78 वर्ग मीटर जिसमे निर्मित टावरों/ ब्लाक का एरिया, ऊँचाई विवरण निम्नवत हैः-

कमांक	नाम टावर	तलों की संख्या	आच्छादित क्षेत्रफल वर्ग मी0 में			ऊँचाई मी0
			भूतल कवर्ड एरिया	टिपिकल एरिया	स्टेयर की सं0 व चौडाई	
1	टावर-ए	03बी+एस+24	651.318	607.440	02-1.5/1.5	72.35
2	टावर-बी	03बी+एस+24	463.665	430.659	02-1.5/1.25	69.45
3	टावर-सी	03बी+एस+24	473.764	444.44	02-1.5/1.25	72.35
4	टावर-डी	03बी+एस+24	675.189	634.53	02-1.5/1.5	72.35
5	टावर-एफ	03बी+एस+24	285.558	259.10	02-1.5/1.25	72.35
6	टावर-जी	03बी+एस+24	316.511	290.90	02-1.5/1.25	72.35
7	टावर-एक्स	03बी+जी+06	289.496	270.432	02-1.5/1.5	24.150
8	स्कूल	भूतल एवं प्रथम	200.00	200.00	01-1.5	06.30

2-बेसमेन्ट प्रथम का निर्मित एरिया-5067.188 एवं प्रस्तावित कवर्ड एरिया-7027.037 वर्ग मी0 है।

3-बेसमेन्ट द्वितीय का निर्मित एरिया-5067.188 एवं प्रस्तावित कवर्ड एरिया-6713.15 वर्ग मी0 है।

4-बेसमेन्ट तृतीय का प्रस्तावित कवर्ड एरिया-3,60 वर्ग मी0 है।

संयुक्त निदेशक
फायर सर्विस मुख्यालय
उ0प्र0, लखनऊ

भवन का अधिभोग एवं हजार्ड श्रेणी–प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की ए–4 श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढॉचागत व्यवस्थाः–

1–पहुँच मार्गः– भूखण्ड के सामने मानचित्रों में 24 मीटर रोड की चौडाई प्रदर्शित है।

2–प्रवेश द्वार की चौडाई– प्रश्नगत भवन मे प्रवेश द्वार की चौडाई 06 मीटर प्रस्तावित है जो मानक के अनुसार है।

3–सैटबैकः– प्रस्तावित भवन का सैटबैक निम्नवत हैः–

ए0–अग्रभाग –15 मीटर।

बी0–पृष्ठ भाग–15 मीटर।

सी0– पार्श्व भाग प्रथम–15 मीटर।

डी0–पार्श्व भाग द्वितीय–15 मीटर।

उपरोक्तानुसर भवन के सैटबैक भवन विनियमावली के अनुसार है, सैटबैक सदैव अवरोध मुक्त रखे जायेगें। सैटबैक में किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य मान्य नही होगा।

4–निकास मार्गः–प्रश्नगत भवन मे स्टेयर उक्त तालिका के अनुसार है, जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है तथा प्रत्येक बेसमेन्ट मे 02 रैम्प का प्राविधान मानचित्रों मे किया गया है।

5–रिफ्यूज एरिया का विवरण–प्रश्नगत टावरों के प्रत्येक फ्लैट पर बालकॉनी का प्राविधान किया गया है जो एन0बी0सी0 के अनुसार रिफयूज बालकनी हेतु अनुमन्य है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था – नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 मानक के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थायें पूर्ण की जानी अनिवार्य हैं।

1–भूमिगत टैंकः– प्रश्नगत भवन मे अग्निशमन कार्यो हेतु भूमिगत टैंक–2,00,000 लीटर क्षमता का मानचित्रों में प्राविधानित है।

2–पम्पः–अण्डर ग्राउण्ड टैंक के पास विद्युत चालित मेन पम्प क्षमता 2280 एल0पी0एम0 के 02 अदद, समान क्षमता का डीजल चालित पम्प, एवं जॉकी पम्प 180 एल0पी0एम0 क्षमता का मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

3–होजरीलः– प्रश्नगत भवन के प्रत्येक टावर मे प्रत्येक तल पर होजरील लैण्डिंग वाल्व आई0एस0–3844 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

4–वेटराईजरः–प्रस्तावित भवन में वेटराइजर सिस्टम एन0बी0सी0–2005 के मानको के अनुरूप वॉच्छनीय है।

5–यार्ड हाइड्रेण्टसः–प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन परिसर में यार्ड हाईड्रेण्ट्स होज केबिनेट एवं उसमे डिलीवरी होज तथा ब्रान्च पाईप एवं फायर फायर सर्विस इन्लेट का प्राविधान आई0एस0–13039:1991 के अनुसार वॉच्छनीय है।

6–हस्त चालित इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टमः– मैनुअली आपरेटिड फायर एलार्म सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

7–स्वाचालित डिटेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टमः– भवन में ऑटोमैटिक डिटेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

8–स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टमः– सम्पूर्ण भवन में ऑटोमेटिक स्प्रिकंलर सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार स्कूल के अतिरिक्त वॉच्छनीय है।

9–टैरिस टैंकः– प्रश्नगत भवन के प्रत्येक टावर की टैरिस पर टैरिस टैंक 25000 लीटर क्षमता का स्थापित कराया जाना वॉच्छनीय है।

10–टैरिस पम्पः–प्रश्नगत भवन के टावर एक्स की टैरिस टैंक के पास टैरिस पम्प क्षमता 900 एल0पी0एम0 स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 के अनुसार वॉछनीय है।

11–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण(फायर एक्सटिंग्यूशरों):–प्रस्तावित समस्त भवनों में फायर एक्सटिंग्यूश आई0एस0–2190 के अनुसार स्थापित किया जाना वॉछनीय है।

12–स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टमः–

ए0–फायर चैकडोर ,स्मोक चैक डोर की लोकेशन के रेटिंग 02 घन्टा वॉछनीय है।

बी0–सिस्टम की मैक अप एयर हेतु व्यवस्था वॉछनीय है।

सी0–स्मोक रिजरवायर एवं अनुमानित स्मोक लेयर आदि को आधारित करते हुए एक्स्ट्रेक्शन सिस्टम का तकनीकी विश्लेषण वॉछनीय है।

13–प्रेशराईजेशन प्रणालीः–लिफ्ट मे प्रेशराईजेशन मानको के अनुसार वॉच्छनींय है।

14–हैलीपेडः–प्रश्नगत भवन मे हैलीपेड का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

संयुक्त निदेशक
फायर सर्विस मुख्यालय
उ०प्र०, लखनऊ

15–एग्जिट साईनेजः– सम्पूर्ण भवन में एग्जिट साईनेज स्थापित किया जाना वॉछनीय है।

16–पी0ए0सिस्टम :–पी0ए0सिस्टम की व्यवस्था सम्पूर्ण भवन में प्राविधान किया जाना वॉछनीय है।

17–प्रशिक्षित स्टॉफ :–प्रश्नगत भवन की अग्निशमन व्यवस्थाओं के संचालन हेतु भवन निर्माण के उपरान्त नियुक्त मानको के अनुसार वॉछनीय है।

उपरोक्तानुसार मैसर्स आदिनाथ प्रोबिल्ड प्रा0लि0 द्वारा खसरा न0–520/1 525 ग्राम–मोहिउद्दीनपुर कनावनी गाजियाबाद मे प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन "एंजिल जुपिटर "की (कम्पाउण्डिंग) प्राविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है, कि आवेदक द्वारा भवन में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन विनियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 में उल्लेखित मानको के अनुसार करायें जायेगें तथा भवन के निर्माणोपरान्त एवं भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानको के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/ परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नकः अनुमोदित मानचित्र अदद।

8/12

(पी0के0राव)
संयुक्त निदेशक
फायर सर्विस मुख्यालय
उ0प्र0, लखनऊ

प्रतिलिपिः1–उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ को सूचनार्थ।

2–मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3–अग्निशमन अधिकारी वैशाली गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4–मैसर्स आदिनाथ प्रोबिल्ड प्रा0लि0 खसरा न0–520/1 525 ग्राम–मोहिउद्दीनपुर कनावनी गाजियाबाद भवन को अनुपालनार्थ।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

AAI/NOC/2012/400/ 2265 **REGD./SPEED POST** Dated: 16/10/2012

M/s Aadinath Probuild (India) Pvt. Ltd.
4, Jagrity Enclave, Vikas Marg, Extn.
Delhi-110092.

SUBJECT: NO OBJECTION CERTIFICATE - (FOR HEIGHT CLEARANCE ONLY)

Sir;

Please refer to your letter no. NIL Dated 22/09/2012 on the subject mentioned above.

This office has no objection to the construction of the proposed **Group Housing** by **M/s Aadinath Probuild (India) Pvt. Ltd.** herein after referred to as the applicant(s) at location **Kh. no-520/1 & 525, Vill. -Mahiuddinpur Kanavani, Indirapuram, Gzb.(UP) HR (Co-ordinates-28 39 10 N 77 22 45 E)** for a height of **91.00 Mts.** (in figure) **Ninety One Decimal Zero Mts** (in words) above ground level so that the top of the proposed structure when erected shall not exceed **203.00 Mts.** (in figure) **Two Hundred Three Decimal Zero Mts.** (in words) (site elevation) plus **91.00 Mts.** (in figure) **Ninety One Decimal Zero Mts**(in words) (height of structure) = **294.00 Mts.** (in figure) **Two hundred ninety four Decimal Zero Mts.** (in words) above mean sea level.

This no objection certificate is being issued on the express understanding that the site elevation (height above mean sea level) viz 203.00 Mts. relative location of the proposed building/structure & its distances and bearings from ARP/ Runway ends, as tendered by the applicant(s) are correct. If, however, at any stage it is established that the said data as tendered & which could adversely effect aircraft operations, the structure or part(s) thereof in respect of which this 'No Objection Certificate' is being issued will have to be demolished at his own cost as may be directed by the Airports Authority of India. The Applicant(s) are therefore advised in his /their own interest to verify the elevation and other data furnished for the site, before embarking on the proposed construction.

The issue of this 'NOC' is further subject to the provisions of Section 9-A of the Indian Aircraft Act, 1934 and those of any notifications issued there under from time to time and under which also the applicant may be called upon by the Airports Authority of India (National Airports Division) to demolish in whole or in part the structure now being authorized vide this 'No Objection Certificate'.

The use of electric fire or oil fired furnace is obligatory.

This certificate is valid for a period of five years from the date of issue. if the building /structure /chimney is not constructed & completed within the above mentioned period of five years, you will be required to obtain a fresh 'No Objection Certificate' from the Airports Authority of India(National Airports Division) and/or the General Manager, Aerodromes, Northern Region. The date of completion of the building/ structure/chimney should be intimated to the Airports Authority of India and/or the General Manager, Aerodromes, Northern Region.

No light or a combination of lights which by reason of its intensity, configuration or colour may cause confusion with the aeronautical ground lights of the Airport shall be installed at the site at any time during or after the construction of the building.

Day & Night markings with secondary power supply may be provided as per ICAO Standard.
"The permissible top elevation/height includes height for superstructures (eg. Wireless, TV antennas, mumties, lift machine room, overhead water tank cooling towers etc.)"

NOTE: THE SITE IS EXAMINED W.R.T IGI AIRPORT AND SAFDARJUNG AIRPORT ONLY.

(AJAY SHIVA)
JT. GENERAL MANAGER (ATM-NOC)
NORTHERN REGION

Copy to:
1. The Chairman, Airports Authority of India, Rajiv Gandhi Bhawan, SAP, N.D-110003.
2. The Chief Architect Town Planner, Ghaziabad Development Authority, Vikas Path, Near Old Bus Stand, GZB.(UP)
3. The Chief Executive Officer, DIAL, New Uddan Bhawan, International Terminal-3, Opp.-ATS Complex, IGI Airport, New Delhi-110037.
4. The General Manager (Carto), AAI, Rajiv Gandhi Bhawan, SAP, N.Delhi-110003.

JT. GENERAL MANAGER (ATM-NOC) NR

क्षेत्रीय मुख्यालय, उत्तरी क्षेत्र, प्रचालन कार्यालय, गुड़गांव रोड़, नई दिल्ली-110 037 दूरभाष : 25652447 फैक्स : 25656451
Regional Headquarters, Northern Region, Operational Offices, Gurgoan Road, New Delhi-110037 Tele.: 25652447 Fax : 25656451